पंचायत समिति कुल्लू , विकास खण्ड कुल्लू , जिला कुल्लू , हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2023 से 03/2024

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति कुल्लू, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 तक के दौरान पंचायत समिति कुल्लू में निम्नलिखित अध्यक्ष,मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव कार्यरत रहे :-

1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री के० एस० राणा	01-04-2023 से 19-03-2024
2.	श्री चेत राम	20.03.2024 से लगातार

2. अध्यक्षा

क्रम. संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती सवित्रा देवी	01-04-2023 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

पंचायत समिति कुल्लू , विकास खण्ड कुल्लू , जिला कुल्लू के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	ई-ग्राम स्वराज व हस्तगत संधारित रोकड़ बही के अंत शेषों अंतर बारे।	6	(+) ₹ 27.32 (-) ₹ 83.45
02.	विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि का अवरोधन।	7	₹ 269.60
03.	सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के आदेशों की अवहेलना करके निर्माण कार्यों पर अनियमित व्यय करने बारे।	10.1	₹ 7.38
04.	ठेकेदारों /संविदाकारों द्वारा निर्माण कार्य से संबन्धित प्रस्तुत किए गए बिलों से टी०डी०एस०, जी० एस० टी०, लेवर सैस की कटौती न करने के कारण सरकार को वित्तीय हानि होने बारे।	10.2	₹ 0.82

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

पंचायत समिति कुल्लू , विकास खण्ड कुल्लू , जिला कुल्लू के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23-01-2025 से 27-01-2025 तक पंचायत समिति कुल्लू के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2023-2024	01/2024	11/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत समिति के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व

उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

पंचायत समिति कुल्लू, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹2400/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या PS/Kullu/2025/11 दिनांक 27-01-2025 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि इस राशि को शीघ्र ही प्रेषित कर दिया जाएगा।

4 **वित्तीय स्थिति**

पंचायत समिति कुल्लू द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(i) स्व: स्त्रोत:- पंचायत समिति कुल्लू के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया: है:

Financial Position of Own sources of Panchayat Samiti Kullu as on 31.03.2024							
Year	**Name of Head**	**Opening Balance**	**Receipt During The Year**	**Interst Received during the year**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2023-24	Own Sources	4488611.00	177400.00	137557.00	4803568.00	300000.00	4503568.00
	Total	**4488611.00**	**177400.00**	**137557.00**	**4803568.00**	**300000.00**	**4503568.00**
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							4503568.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							4503568.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**0.00**
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							
Sr No	**Branch Name**	**Account No**					

1	KCCB Gandhinagar Kullu	50073010455	(Annexure-7)	4503568.00
			Total	**45,03,568.00**

(ii) अनुदान : पंचायत समिति कुल्लू , के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-2 व 6** में भी दिया गया: है:

Financial Position of Grants of Panchayat Samiti Kullu as on 31.03.2024							
Year	**Name of Head**	**Opening Balance**	**Receipt During The Year**	**Interst Received during the year**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2023-24	Grants	43861782.00	43140413.00	748714.99	87750909.99	57254517.00	30496392.99
	Total	**43861782.00**	**43140413.00**	**748714.99**	**87750909.99**	**57254517.00**	**30496392.99**
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							30496392.99
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							30166717.99
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**329675.00**
Bank Reconciliation:-							
Total as per Cash Book as on 31.03. 2024							**30496392.99**
Add: Interest received on dated 30.03.2024 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No-567)							48632.00
Add: Interest received on dated 30.03.2024 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No-775)							30866.00
Add: Interest received on dated 31.03.2024 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No-0915)							40698.00
Add: Interest received on dated 06.03.2024 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No-8502)							2410.00
Add: Interest received on dated 29.02.2024 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No-8431)							251.00
Less: Interest received on 01.04.24 but enter in cash book as on 31.03.2024							-4250.00
Total as per cash book after reconciliation							**30614999.99**
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Annexure-7)							**30166717.99**
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**448282.00**
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							

Sr No	**Branch Name**	**Account No**	**Head**	
1	ICICI Kullu	073601000567	Panchayat Ghar/P. Samiti Works	5575683.00
2	ICICI Kullu	073601000775	Panchayat Ghar/P. Samiti Works	4157682.00

3	KCCB Bhuntar	50055498431	5 th State Finance Commission (ZP)	33871.00
4	PNB Sultanpur	4448000100045802	5 th State Finance Commission (ZP)	360510.99
5	BOB , KULLU	34500100000915	5 th State Finance Commission (ZP)	5817608.00
6	KCCB Gandhinagar	20099021607	Salary/Honorarium Head	3535957.00
7	HDFC Kullu	50100447616893	RGSA	569728.00
8	HDFC Kullu	50100344174698	15 th FC	10115678.00
			Total	**3,01,66,717.99**

5 15 वें वित्तायोग की बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही व बैंक खाते के अन्तशेष में राशि ₹448282.00 का अन्तर पाया जाना ।

इस पैरे का तथा 15वें वित्तायोग से सम्बन्धित पैरों का प्रारूपण ऑनलाइन अंकेक्षण प्रतिवेदन में पहले ही कर लिया गया है ।

6 ई-ग्राम स्वराज व हस्तगत संधारित रोकड़ बही के अंत शेषों में ₹ 27.32 लाख का धनात्मक अंतर व ₹ 83.45 लाख का ऋणात्मक अंतर बारे ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजक्ट (एम.एम.पी.) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत समिति की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं/सामान खरीद /भुगतान इत्यादि का इन्द्राज करना था ।

ANNUAL REPORT

पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध सूचना / अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि पंचायत समिति कुल्लू द्वारा ई-ग्राम स्वराज रोकड़ बही तथा हस्तगत संधारित रोकड़ बही में आय व्यय की प्रविष्टियाँ तो दर्ज की जा रही है परंतु पंचायत समिति द्वारा ई-ग्राम स्वराज में संधारित आंकड़ो को बैंक खातों के साथ मिलान नहीं किया गया था तथा न ही हस्तगत संधारित की गयी रोकड़ बहियों के साथ आरंभिक व अंतशेषों की तुलना की गयी थी जिससे की दोनों तरह की रोकड़ बही में दर्ज आंकड़ों की पुष्टि नहीं की जा सकी । समिति द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से उपलब्ध

रोकड़ बही के आंकड़ों का मिलान हस्तगत संधारित रोकड़ बहियों से करने पर पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गयी हस्तगत रोकड़ बही के अंतशेष व ई-ग्राम स्वराज में संधारित रोकड़ बही के अंतशेष में ₹ 2732557.00 का धनात्मक व (-) ₹ 8345995.00 का ऋणात्मक अंतर पाया गया । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

Sr. No	Name Of Fund	Closing Balance as on 31.03.2024 as per Manual Cash book	Closing Balance as on 31.03.2024 as per E- Gram Swaraj Portal	Difference
1	Own Source	4503568.00	1775261.00	2728307.00
2	5th State	13806159.99	22152154.99	-8345995.00
3	RGSA	573978.00	569728.00	4250.00

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 27.01.2025 के कार्यकारी द्वारा अधिकारी तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि हेतु कहा गया था परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अतः ई-ग्राम स्वराज में संधारित रोकड़ बही के आंकड़ो में अपेक्षित सुधार करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। जिससे कि ई-ग्राम स्वराज में संधारित रोकड़ बही के आंकड़े सही वित्तीय स्थिति को परिलक्षित करें ।

7 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹ 269.60 लाख का अवरोधन :-

पंचायत समिति द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹26960435.99 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी । पंचायत समिति द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत समिति द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है । यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत समिति के कर्मचारियों व प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

ANNUAL REPORT

Sr. No	Name Of Fund	Unutilized Amount as on 31.03.2024
1	15 th FC	10563960.00
2	5th State FC PS	9653867.00
3	5th State FC ZP	6168630.99
4	RGSA	573978.00
	Total	**26960435.99**

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 27-01-2025 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में विकासात्मक कार्य हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि को खर्च कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 स्व: स्त्रोत निधि के बचत खाते में शेष बची आधिक्य राशि को सावधि निवेश में जमा न करने बारे व प्राप्त होने वाले अतिरिक्त ब्याज से वंचित होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 26 के अनुसार तथा हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin-IF(A)1-68/83-II दिनांक 29.04.2020 के अनुसार पंचायत समिति व जिला परिषद की उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव पारित करके 60% राष्ट्रीयकृत बैंक + सहकारी बैंक ,26% व्यवसायिक बैंक व 14 % अन्य व्यवसायिक निजी क्षेत्र बैंक में इस प्रकार निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर अधिकतम आय ब्याज के रूप में अर्जित की जा सके । अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही तथा बैंक खातों की पड़ताल में पाया गया कि पंचायत समिति के पास दिनांक 01.04.2023 को स्व : स्त्रोत निधि में **₹ 44,88,611.00** तथा दिनांक 31.03.2024 को **₹ 45,03,568.00** की अत्यधिक राशि स्व: स्त्रोत निधि के बचत खाते में ही जमा थी यदि उक्त राशि को उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रख कर सावधि जमा में निवेश किया जाता तो अर्जित ब्याज के रूप में समिति को ब्याज के रूप में अधिक आय हो सकती थी। परंतु समिति द्वारा आधिक्य राशि को निवेश न

करना सरकार के दिशानिर्देशों की अवहेलना को दर्शाता है तथा साथ ही अतिरिक्त आय की प्राप्ति से भी वंचित होना पड़ रहा है ।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 27-01-2025 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, स्व: स्त्रोत निधि के बचत खाते में शेष आधिक्य राशि को सावधि निवेश जमा नहीं किया गया है और भविष्य में शेष आधिक्य राशि को सावधि जमा में निवेशित किया जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि सभा निधि के बचत खाते में शेष बची आधिक्य राशि को सावधि निवेश में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे कि पंचायत समिति को ब्याज के रूप में अतिरिक्त प्राप्त हो व इस संबंध में की गयी कार्रवाई की अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

9 पंचायत समिति की दुकानों को किराये पर आबंटन न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 33** में प्रावधान है कि, पंचायत समिति का सचिव/अधिकारी देखेगा कि, समस्त राजस्व सही ढंग से व अबिलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित,वसूल व सम्बन्धित समिति के खातों में जमा करवाया गया है ।

पंचायत समिति कुल्लू द्वारा उपलब्ध कारवाई गयी सूचना अनुसार पंचायत समिति कुल्लू की अपनी 2 दुकाने है । अंकेक्षण के दौरान समिति की स्व : स्त्रोत से प्राप्त आय की पड़ताल में पाया गया कि समिति द्वारा दुकानों से आय की प्राप्ति नहीं की जा रही है तथा न ही समिति द्वारा इनको किराये पर आवंटित करने से संबन्धित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया । परिणामस्वरूप यह प्रतीत होता है कि पंचायत समिति द्वारा खाली पड़ी दुकानों को किराये पर आवंटित नहीं किया गया था जिस कारण समिति को दुकानों के किराये के रूप मे प्राप्त होने वाली आय से वंचित होना पड़ रहा है ।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13 दिनांक 27.01.2025 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि यह दुकाने समिति मद से निर्मित नहीं की गयी है । अंकेक्षण अवधि के दौरान दुकानों की मुरम्मत की जा रही थी जिस कारण किराये पर नहीं दी जा सकती थी भविष्य में दुकाने हिम ईरा (SHG) को आवंटित की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है । अतः खाली पड़ी दुकानों को शीघ्र ही किराये पर आबंटन करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये ताकि दुकान किराया की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके

पंचायत समिति निधि को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाया जा सके व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.1 सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के आदेशों की अवहेलना करके ₹ 7.38 लाख के निर्माण कार्यों पर अनियमित व्यय करने बारे ।

ANNUAL REPORT

सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या file No –RDD-XEN-/2018 –e-tendering दिनांक जुलाई 2018के अनुसार ₹ 5.00 लाख तथा उससे अधिक के सामान के क्रय करने व निर्माण कार्य करने हेतु E-Tendering की प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखो की पड़ताल में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार टेण्डर आमंत्रित करके ₹ 7,38,000/- का निर्माण कार्य संविदाकार के माध्यम से करवाया गया था जबकि उपरोक्त आदेशानुसार ₹ 7,38,000/- का कार्य, जिसका स्वीकृत मूल्य ₹ 5.00 लाख से अधिक था, के निर्माण कार्यों को करने हेतु E-Tendring को दर किनार करके पंचायत समिति द्वारा अपने स्तर पर ऑफलाइन टेण्डर के द्वारा ही कार्य आबंटन कर दिया गया था जोकि जानबूज कर ,E-Tendring कोदर किनार करके विकासात्मक कार्यों में अनुचित देरी तथा व्यक्तिगत लाभों की संभावना को परिलिक्षित करता है ।

Sr. No	Work Name	Contractor Name	Final Bill Amount
1	C/o roof panchayat samite hall Sarwari	Sh. Neerat Ram	738500.00

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 27.01.2025 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, इस बारे में नियम की जानकारी न होने कारण राशि का व्यय कर लिया गया था परंतु भविष्य में इस नियम का ध्यान रखा जाएगा व त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा।उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत : परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में 5 लाख अथवा उससे अधिक मूल्य बाले सभी कार्यों को ई –टेंडरिंग के माध्यम से किए जाने सुनिश्चित किए जाये जिससे निर्माण कार्यों को पूर्ण पारदर्शिता से साथ किया जा सके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा उपरोक्त नियमों के विरुद्ध करवाये गए कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके, नियमित करवाया जाए।

10.2 ठेकेदारों /संविदाकारों द्वारा निर्माण कार्य से संबन्धित प्रस्तुत किए गए बिलों से राशि ₹0.82 लाख के टी०डी०एस०, जी० एस० टी० व लेबर सैस की कटौती न करने बारे -:

पंचायत समिति कुल्लू के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु संविदाकार को ₹1649539.00 की राशि का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय पंचायत समिति द्वारा संविदाकार के भुगतान बिलों से संवैधानिक काटौतियाँ (TDS, GST,Labour cess) नहीं कि गयी थी परिणामस्वरूप ठेकेदार को अतिरिक्त लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार की कटौतियाँ न केवल संबन्धित अधिनियमों के प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹ 82477.00 की वित्तीय हानि हुई है।

Sr. No	Work Name	Contractor Name	Final Bill Amount	TDS@2%	GST@ 2%	Labour Cess @1 %
1	C/o roof panchayat samite hall Sarwari	Sh. Neerat Ram	738500.00	14770.00	14770.00	7385.00
2	R/o Toilet in panchayat bhawan Sarwari	Sh. Ranveer Thakur	62500.00	1250.00	1250.00	625.00
3	Applying White wash in guest house Building ZP	Sh. Satish Thakur	367939.00	7359.00	7359.00	3679.00
4	R/o outer Gate of ground floor at Zila Parishad	Sh. Neerat Ram	130600.00	2612.00	2612.00	1306.00
5	Providing Panneling and repair work in toilet near zila parishad	Sh. Ranveer Thakur	350000.00	7000.00	7000.00	3500.00
Total			**1649539.00**	**32991.00**	**32991.00**	**16495.00**
Grand Total (TDS + GST + Labour Cess)				**82477.00**		

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 27.01.2025 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, इस राशि को जमा करवा दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार कटौती करना सुनिश्चित किया जाये तथा उपरोक्त कटौती नहीं की गयी राशि की वसूली करने के उपरांत संबन्धित विभाग में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त स्रोत पर (TDS) कटौती (आयकर व वस्तु व सेवा कर) न करने के फलस्वरूप यदि सम्बन्धित विभाग निकट भविष्य में कोई जुर्माना लगाता है तो आहरण एवं संवितरण अधिकारी का निजि उत्तरदायित्व होगा।

11 कार्यवाही रजिस्टर में उपस्थित सदस्यों से अधिक सदस्यों के खान-पान का बिल प्रस्तुत करने के कारण राशि ₹2880 का अधिक/अनियमित व्यय करने बारे :-

पंचायत समिति कुल्लू के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा दिनांक 06.10.2023 की सभा में उपस्थित सदस्यों को खान-पान करवाया गया था जिससे संबन्धित बिल की पड़ताल में पाया गया कि बिल में 50 व्यक्तियों के खान पान हेतु 160 प्रति व्यक्ति की दर से ₹**8000.00** का भुगतान किया गया था जबकि वाउचर के साथ संलग्न की गयी सभा में उपस्थित सदस्यों की प्रतिलिपि के अनुसार मीटिंग में केवल 32 सदस्य द्वारा ही उपस्थिति दर्ज की गयी थी। जिसके परिणामस्वरूप केवल उन्ही सदस्यों को भोजन दिया जाना अपेक्षित था जिनकी कार्यवाही रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज थी। इस प्रकार पंचायत समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार राशि ₹2880 का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनुचित व अनियमित प्रतीत होता है।

Vr. No./ Date	Bill No / date	Name of Firm	Material/ Date of Meeting	No of Person as per bill	No of Person Present in meeting as per proceeding register	Difference	Rate	Excess Amount paid
98/ 28.11.23	825/06.10.23	Het Ram Thakur Canteen BDO Office	Lunch & Tea,Sancks/ 06.10.23	50	32	18	160	**2880.00**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 27.01.2025 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, बैठक में अनुमानित 50 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था बैठक से पूर्व की गयी थी जिसमे कुछ अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे जबकि भोजन 50 व्यक्तियों को ही दिया गया है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि दोपहर के भोजन का आबंटन केवल सभा में उपस्थिति दर्ज करने वाले सदस्यों को ही किया जाना अपेक्षित था। अत : उपरोक्त अधिक भुगतान की गयी राशि ₹2880/-की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत पंचायत समिति निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

पंचायत समिति, विकास खण्ड कुल्लू, (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल 20 प्रविष्टियाँ ही दर्ज की गई थी जिसमें अलमारी, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी ही शामिल थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नहीं थे। इसके अलावा अन्य सम्पत्तियां जैसे प्रिंटर, क्रोकरी, लेपटोप, कूलर, LED इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत समिति द्वारा किये गए समस्त कार्यों में से एक भी कार्यों को इसमें दर्ज नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को इसमें करना अपेक्षित था। पंचायत समिति ने लेखा परीक्षा की तिथि तक 2024/03 बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पत्तियों को राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका (National Asset Directory) में दर्ज नहीं किया था।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-02 दिनांक 24.01.2025 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया कि, पंचायत समिति की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा तथा इस प्रकार की त्रुटि को नहीं

दोहराया जाएगा। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये व की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12.2 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत समिति द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
9.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 27.01.2025 के प्रत्युत्तर में समिति कार्यकारी अधिकारी द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत समिति कुल्लू की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग/दुर्विनियोजन की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

14. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

15. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत समिति के लेखों की गहन जांच व वित्तीय मामलों में नियन्त्रण की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की संभावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

24 MAR 2025

(अनिल कुमार मेहरा)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—2626670

1776-1779 का0/50

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15) (7) 83/2025 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09
प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू हि0प्र0।

पंजीकृत

4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

24 MAR 2025

(अनिल कुमार मेहरा)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—2626670

का0/50

परिशिष्ट - 1
पैरा संख्या - 4 (i)

Financial Position of Own sources of Panchayat Samiti Kullu as on 31.03.2024							
Year	**Name of Head**	**Opening Balance**	**Receipt During The Year**	**Interst Received during the year**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2023-24	Own Sources	4488611.00	177400.00	137557.00	4803568.00	300000.00	4503568.00
	Total	**4488611.00**	**177400.00**	**137557.00**	**4803568.00**	**300000.00**	**4503568.00**
							4503568.00
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							4503568.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							**0.00**
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							
Sr No	**Branch Name**	**Account No**					
1	KCCB Gandhinagar Kullu	50073010455					4503568.00
Total							**45,03,568.00**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पंचायत स[illegible] कुल्लू

15

परिशिष्ट 2
पैरा संख्या - 4(ii)

Financial Position of 5th State(ZP) of Panchayat Samiti Kullu as on 31.03.2024

Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Interst Received during the year	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	5th State(ZP)	6676158.00	1301600.00	170411.99	8148169.99	1979539.00	6168630.99
	Total	**6676158.00**	**1301600.00**	**170411.99**	**8148169.99**	**1979539.00**	**6168630.99**
							6168630.99
Total as per Cash Book as on 31.03. 2024							6211989.99
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							**-43359.00**
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							
Bank Reconciliation:-							6168630.99
Total as per Cash Book as on 31.03. 2024							40698.00
Add: Interest received on dated 31.03.2024 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No-0915)							2410.00
Add: Interest received on dated 06.03.2024 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No-8502)							251.00
Add: Interest received on dated 29.02.2024 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No-8431)							**6211989.99**
Total as per cash book after reconciliation							**6211989.99**
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024							**0.00**
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							

Sr No	Branch Name	Account No			Amount
1	KCCB Bhuntar	50055498431			33871.00
2	PNB Sultanpur Kullu	4448000100045802			360510.99
3	Bank of Baroda , Kullu	34500100000915			5817608.00
		Total			**62,11,989.99**

(17) 10

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पंचायत समिति कुल्लू

परिशिष्ट - 3
पैरा संख्या - 4(ii)

Financial Position of RGSA of Panchayat Samiti Kullu as on 31.03.2024							
Year	**Name of Head**	**Opening Balance**	**Receipt During The Year**	**Interst Received during the year**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2023-24	RGSA	495765.00	120530.00	18938.00	635233.00	61255.00	573978.00
	Total	**495765.00**	**120530.00**	**18938.00**	**635233.00**	**61255.00**	**573978.00**
Bank Reconciliation:-							
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							573978.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							569728.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**4250.00**
Less: Interest received on 01.04.24 but enter in cash book as on 31.03.2024							**4250.00**
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							0.00
Sr No	**Branch Name**	**Account No**					
1	HDFC Kullu	50100447616893					569728.00
			Total				**5,69,728.00**

मुख्यकार्यकारी अधिकारी
पंचायत समिति कुल्लू

परिशिष्ट – 5
पेरा संख्या 4(ii)

Financial Position of 5th State (PS)/P /G of Panchayat Samiti Kullu as on 31.03.2024

Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Interst Received during the year	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	5th State (PS)/P /G	9635599.00	0.00	238268.00	9873867.00	220000.00	9653867.00
	Total	**9635599.00**	**0.00**	**238268.00**	**9873867.00**	**220000.00**	**9653867.00**
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							9653867.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							9733365.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**-79498.00**
Bank Reconciliation:-							
Total as per Cash Book as on 31.03. 2024							**9653867.00**
Add: Interest received on dated 30.03.2024 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No-567)							**48632.00**
Add: Interest received on dated 30.03.2024 but not entered in cashbook upto 31.03.2024 (A/c No-775)							**30866.00**
Total as per cash book after reconciliation							**9733365.00**
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024							**9733365.00**
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							0.00

Sr No	Branch Name	Account No	Amount
1	ICICI Kullu	073601000567	5575683.00
2	ICICI Kullu	073601000775	4157682.00
		Total	**97,33,365.00**

18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पंचायत समिति कुल्लू

परिशिष्ट - 5
पैरा संख्या - 4(ii)

Financial Position of Honorarium PRI,s /Salary 5th State Finance of Panchayat Samiti Kullu as on 31.03.2024							
Year	**Name of Head**	**Opening Balance**	**Receipt During The Year**	**Interst Received during the year**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2023-24	Honorarium PRI,s /Salary 5th State Finance	9236327.00	39509261.00	132797.00	48878385.00	45342428.00	3535957.00
	Total	**9236327.00**	**39509261.00**	**132797.00**	**48878385.00**	**45342428.00**	**3535957.00**
Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024							3535957.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							3535957.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**0.00**
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							
Sr No	**Branch Name**	**Account No**					
1	KCCB Gandhinagar Kullu	20099021607					3535957.00
Total							**35,35,957.00**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पंचायत समिति कुल्लू

19

परिशिष्ट – 6
पैरा संख्या – 4 (ii)

Financial Position of 15 th FC of Panchayat Samiti Kullu as on 31.03.2024

Year	Name of Head	Opening Balance	Receipt During The Year	Interst Received during the year	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	15 th FC	17817933.00	2209022.00	188300.00	20215255.00	9651295.00	10563960.00
	Total	**17817933.00**	**2209022.00**	**188300.00**	**20215255.00**	**9651295.00**	**10563960.00**
Total as per General Cash Book as on 31.03.2024							10563960.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)							10115678.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024							**448282.00**
Detail of Bank Accounts as on 31-03-2024							
Sr No	**Branch Name**	**Account No**					
1	HDFC Kullu	50100344174698					10115678.00
Total							**1,01,15,678.00**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पंचायत समिति कुल्लू

(20)

परिशिष्ट – 7

[illegible]

क्र.	निधि का नाम	खाता संख्या	बैक का नाम	राशि 31.03.24
1	5th SFC-(ZP)	3450010000915	Bank of Baroda	5817608.00
		4448000100045802	Punjab National Bank	360510.99
		50055498431	KCC Bank Kullu	33871.00
2	RGSA	50100447616893	HDFC Kullu	569728.00
3	Nidhi	50073010455	KCC Bank Kullu	4503568.00
4	Panchayat Gher /P.Samiti Works	073601000775	ICICI Bank Kullu	4157682.00
		073601000567	ICICI Bank Kullu	5575683.00
5	Salary /Hon Head	20099021607	KCC Ghandi naga	3535957.00
6	15 th Fc	50100244174698	HDFC Kullu	10115678.00
			Total	34670285.99

मुख्यकार्यकारी अधिकारी
पंचायत समिति कुल्लू